प्रेस-विज्ञप्ति 26.09.2018

दिनांक 26 सितम्बर, **2018** को मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, सीमा शुल्क विभाग तथा फियो के संयुक्त तत्वाधान में "प्राधिकृत आर्थिक संचालक (Authorized Economic Operation (A.E.O.)" पर सत्र का आयोजन किया गया।

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री बी.एम. गर्ग ने श्री शिव कुमार शर्मा, आई.आर.एस., आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक),उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, मर्चेंट्स चैम्बर तथा फियो के सदस्यगण, आयातक/निर्यातक बंधुओं, सीमा शुल्क विभाग के अधिकारीगण तथा मीडियाकर्मियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज का संवादात्मक सत्र "प्राधिकृत आर्थिक संचालक (Authorized Economic Operation (A.E.O.)" पर आयोजित किया गया है।

मर्चेंट्स चैम्बर की ओर से हम माननीय आयुक्त महोदय को आभार व्यक्त करते है कि आप स्वयं आयातकों/निर्यातकों से प्रत्यक्ष रूप से संवाद स्थापित करते है और उनको सरकार द्वारा लागू की जाने वाली प्रत्येक नई व्यवस्था से अवगत कराते है। 19 जनवरी को भी शर्मा जी ने निर्यातक बंधुओं की समस्याओं का स्माहान किया था। हम आपसे यह आग्रह करते है उपरोक्त आयोजित विषय "प्राधिकृत आर्थिक संचालक (Authorized Economic Operation (A.E.O.)" पर समस्त गणमान्यों को संबोधित करें।

श्री शिव कुमार शर्मा, आई.आर.एस., आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, निर्यातको व् आयातकों को सम्बोधित करते हुए सूचित किया कि अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (A.E.O.) एक ऐसी योजना है जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त गुणवत्ता के अनुसार व्यापार का अवसर प्रदान करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में आयातकों / निर्यातकों की सुरचित भूमिका की परिचायक है और इसकी सीमा शुल्क प्रक्रिया सक्षम और अनुपालनीय है। श्री शर्मा ने यह भी अवगत कराया कि A.E.O. आयातकों / निर्यातकों के लिए एक त्रि-स्तरीय प्रमाणन (AEO T-1, T-2, एवं T-3) कार्यकम है और यह सेवा प्रदाताओं जैसे लाजोस्टिक सेवा प्रदाताओं, कस्टोडियंस, कस्टम्स ब्रोकर्स और वेयरहाउस संचालकों के लिए एक स्तरीय प्रमाणन A.E.O.-L.O. भी है।

श्री शर्मा ने कहा कि आयातकों/निर्यातकों को A.E.O. टी.-1 प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त होने वाले लाभों के बारे में आयुक्त ने अवगत करते हुए कहा कि इससे उनके माल का आयात और निर्यात सुविधाजनक हो जाता है और इसके द्वारा कार्गों से अवमुक्त होने में समय कम लगता है, कस्टोडीयन के परिसर में अलग से स्थान उपलब्ध कराया जाता है तथा सह सेवा प्रदाताओं और अन्य के मध्य किसी विवाद/ अनियमितता का निस्तारण/जांच विभाग द्वारा त्वरित गति से किया जाता है, A.E.O. कार्यक्रम उन पर लागू बैंक गारंटी/शुल्क में काफी कमीं प्रदान करता है। श्री शर्मा ने बताया कि A.E.O. प्रमाण पत्र प्राप्त करने की योग्यता ऐसे आयातकों/ निर्यातकों की होगी जिनके यहाँ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी, प्रत्यक्षतः तस्करी और उत्पाद शुल्क देय उत्पादों को छुपाने अथवा ऐसे मामले जहाँ ग्राहकों से सेवाकर लिया गया हो किन्तु सरकार को जमा न किया गया हो के मामले में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कोई कारण बताओ नॉटिक नहीं जारी किया गया हो। साथ ही आवेदक/ वरिष्ठ प्रबंधन के विरुद्ध कोई अभियोजन प्रक्रिया न की गयी हो अथवा विचारणीय न हो और आवेदक आर्थिक रूप से सुद्रढ हो। A.E.O. T-1 प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आयातकों/निर्यातकों के सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय लखनऊ द्वारा जारी जन सूचना सं 30/2018 दिनांक 04.09.2018 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 और अनुलग्नक-2 घोषणा सहित विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सत्र के अन्त में धन्यवाद-प्रस्ताव श्री सी.एन. मिश्रा, उप आयुक्त, कस्टम्स, कानपुर तथा संचालन श्री महेंद्र मोदी, सचिव, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया।

सत्र में उपस्थित गणमान्य: श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री उमेश पाण्डेय, श्री तहजीब, श्री जफ़र, श्री वाई. एस. गर्ग, सुपर हाउस लि., रिमझिम इस्पात्, लोहिया कोर्प, रहमान इंडस्ट्री लि., श्री लक्ष्मी कोत्सिन, शहर के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधिगण, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं निर्याताक व् आयातक बन्धु सीमा शुल्क विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।